दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :–...............

वादी की ओर से श्री औम प्रकाश अरोड़ा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि मे का निम्नानुसार घोषणा की जाती है–

तहसील पीलीबंगा चक 75000 आरडी प.न. 69/356 के मु.नं. 11 प.नं. 69/357 के मु.नं. 12, प.नं. 69/358 के मु.नं. 21 की कुल 11.309 है. कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि में वादिया का 8484/56545 हिस्सा दर्ज रिकार्ड में किरण पत्नी कुलदीप के स्थान पर किरण कुमारी पत्नी कुलदीप किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 5/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested